

न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढींढसा और विवेक पुरी के समक्ष

कुलदीप कुमार यादव - याचिकाकर्ता

बनाम

ऐड्मिनिस्ट्रेटर, हरियाणा शहरी विकास

प्रधिकरण और अन्य - उत्तरवादी

2021 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 3679

20 जुलाई, 2021

(अ) **भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - आशय पत्र की वापसी - याचिकाकर्ता द्वारा बोली राशि का 15% जमा करने से पहले ही आशय पत्र वापस ले लिया गया - याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन का कोई नियमित पत्र जारी नहीं किया गया - आशय पत्र केवल औपचारिक अनुबंध / आवंटन पत्र की प्रस्तावना थी - पार्टियों के बीच कोई संपन्न अनुबंध नहीं हुआ - कोई निहित अधिकार या उस मामले के लिए कोई प्रवर्तनीय अधिकार याचिकाकर्ता को आशय पत्र जारी करने के आधार पर निहित नहीं हुआ। इरादे का**

निर्धारित किया गया कि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा बोली राशि का 15% जमा करने से पहले ही आशय पत्र वापस ले लिया गया है। याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन का कोई नियमित पत्र जारी नहीं किया गया है। दिनांक 28.09.2020 का आशय पत्र (अनुलग्नक पी-2) केवल औपचारिक अनुबंध/आवंटन पत्र की प्रस्तावना थी। पार्टियों के बीच कोई संपन्न अनुबंध नहीं था। हमें यह देखने में कोई संकोच नहीं होगा कि दिनांक 28.09.2020 को आशय पत्र जारी करने के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई निहित अधिकार या उस मामले के लिए कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं मिला है।

(पैरा 13)

(आ) **भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - बिना किसी कारण के आशय पत्र को वापस लेना - यदि निर्णय बिना किसी कारण के या संबंधित प्राधिकारी के केवल निर्देश पर लिया जाता है, तो इसे शक्ति के मनमाने प्रयोग के रूप में देखा जाएगा - याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई बोली ऐसे उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से बहुत कम थी - ई-नीलामी नीति और नियमों और शर्तों के अनुसार आरक्षित मूल्य गोपनीय रहना था और उच्चतम बोली के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाना - इस प्रकार, ई-नीलामी नीति के नियमों और शर्तों के अनुरूप वैध और वैध आशय पत्र को वापस लेने के लिए आधार का खुलासा किया गया।**

यह निर्धारित किया गया कि, ई-नीलामी नीति (अनुलग्नक पी -1) और उसमें निहित नियमों और शर्तों के अनुसार आरक्षित मूल्य गोपनीय रहना था और इसका उपयोग उच्चतम बोली के मूल्यांकन के लिए किया जाना था। हम पाते हैं कि आशय पत्र को वापस लेने के लिए जिस आधार का खुलासा किया गया है, वह एक वैध आधार है और ई-नीलामी नीति के नियमों और शर्तों के अनुरूप है। याचिकाकर्ता की बोली आरक्षित मूल्य से बहुत कम होने के बावजूद, अनजाने में एक आशय पत्र जारी किया गया था और यह ऐसी त्रुटि के सुधार के लिए है कि आक्षेपित आदेश जारी किया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान, एक वास्तविक गलती को हमेशा ठीक किया जाना चाहिए।

(पैरा 15)

(इ) भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - आशय की वापसी - सुनवाई का अवसर न होना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन - सार्वजनिक संपत्ति के निपटान के मामले में, प्रश्न यह है कि क्या सार्वजनिक नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के अधिकार को यह सुनिश्चित करने में जनता के अधिकार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि उचित मूल्य और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मूल्यवान सार्वजनिक संपत्तियों का निपटान नहीं किया गया था, सार्वजनिक हित प्रबल होना चाहिए - वापसी के आदेश ठोस कारण बताते हैं - प्रतिवादी ने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा निर्णय लिया कि सार्वजनिक संपत्ति को आरक्षित मूल्य से नीचे नीलामी में नहीं बेचा जाए - ऐसा निर्णय पारदर्शी और निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है - आशय पत्र जारी करने के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में किसी निहित अधिकार के अभाव में, सुनवाई से इनकार करने और पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करने के संबंध में प्रस्तुतीकरण योग्यताहीन है।

निर्धारित किया गया कि, सार्वजनिक संपत्ति के निपटान के मामले में, यह सवाल कि क्या सार्वजनिक नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के अधिकार को यह सुनिश्चित करने में जनता के अधिकार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि उचित मूल्य और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति का निपटान नहीं किया गया था, जनहित की जीत होनी चाहिए। अनुबंध पी-3 और पी-4 में दिए गए आदेश आशय पत्र को वापस लेने के लिए ठोस कारण बताते हैं। प्रतिवादी ने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा निर्णय लिया है कि सार्वजनिक संपत्ति आरक्षित मूल्य से नीचे नीलामी में नहीं बेची जाए। इस तरह का निर्णय एक पारदर्शी और निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है। आशय पत्र जारी करने के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई निहित अधिकार न होने की स्थिति में,

सुनवाई से इनकार करने और पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करने के संबंध में प्रस्तुतीकरण को बिना किसी योग्यता के पाया जाता है।

(पैरा 16)

याचिकाकर्ता के वकील *भुवनेश लखेरा*।

तेजिंदर सिंह ढीढसा जे (मौखिक)

(1) तत्काल रिट याचिका एस्टेट अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रेवाड़ी द्वारा जारी 14.10.2020 (अनुबंध पी -3) के ज्ञापन के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके अनुसार बूथ नंबर 41, सेक्टर 3, भाग -2 के लिए आशय पत्र वापस ले लिया गया है। इसके अलावा चुनौती दिनांक 17.11.2020 (अनुलग्नक पी-4) के उस पत्र को दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता को आशय पत्र वापस लेने के कारणों के बारे में सूचित किया गया है।

(2) वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने एक ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया था जिसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (इसके बाद प्रतिवादी के रूप में संदर्भित) द्वारा शुरू किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता एक वाणिज्यिक बूथ के लिए बोली लगाने के इच्छुक थे, जिसका आधार मूल्य 19,33,528 रुपये तय किया गया था, आधार मूल्य का पांच प्रतिशत यानी 96,700 रुपये अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के लिए किया गया था, इसके अलावा 13.08.2020 को 1,000 रुपये का सेवा शुल्क भी लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने 19,53,528/- रुपये की बोली प्रस्तुत की। चूंकि याचिकाकर्ता एच -1, सबसे अधिक बोली लगाने वाला था, इसलिए उसने प्रतिवादी द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार 17.08.2020 को एक और 5% यानी 98,652/- रुपये की राशि जमा की। 28.09.2020 को याचिकाकर्ता को बूथ से संबंधित एक आशय पत्र जारी किया गया था, जिसमें उसे पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर बोली राशि का 15% जमा करने के लिए कहा गया था। यह आग्रह किया जाता है कि 30 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले भी प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के बैंक खाते में 1,95,352.80 रुपये वापस जमा किए गए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता को दिनांक 14.10.2020 (अनुलग्नक पी-3) का ज्ञापन प्राप्त हुआ, जिसमें आशय पत्र को वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ता को दिनांक 17.11.2020 (अनुलग्नक पी-4) का पत्र भी प्राप्त हुआ, जिसमें आशय पत्र को वापस लेने के आधार का खुलासा किया गया था, यानी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली आरक्षित मूल्य से कम थी, जिसे इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा 23,00,000 रुपये तय किया गया था

(3) इस तरह की संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में अनुलग्नक पी-3 और पी-4 के खिलाफ तत्काल याचिका दायर की गई है।

(4) वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने ई-नीलामी के संचालन के लिए प्रतिवादी द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा किया था और उसकी ओर से कोई गलत प्रतिनिधित्व नहीं होने के बावजूद आशय पत्र को मनमाने ढंग से वापस ले लिया गया है।

आगे दलील दी गई कि प्रतिवादी के लिए आवंटन रद्द करने और नीलामी के नियमों और शर्तों के साथ-साथ आवंटन पत्र में निहित शर्तों के चूक या उल्लंघन की स्थिति में बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई राशि का पूरा या हिस्सा जब्त करने का विकल्प खुला है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा निर्धारित किसी भी शर्त में चूक नहीं की है और इस तरह आशय पत्र की वापसी जारी नहीं रह सकती है। लेटर ऑफ इंटेन्ट को वापस लेने में प्रतिवादी की ओर से मनमानी का आरोप लगाने के अलावा, यह तर्क दिया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की गई है क्योंकि याचिकाकर्ता को क्रमशः 14.10.2020 और 17.11.2020 को अनुबंध पी -3 और पी -4 पर आक्षेपित आदेशों/ पत्रों को जारी करने से पहले कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

- (5) हमने वकील को विस्तार से सुना है और केस अभिलेख पुस्तिका का अवलोकन किया है।
- (6) याचिकाकर्ता का तर्क है कि ई-नीलामी प्रक्रिया जिसमें उसने भाग लिया था, प्रतिवादी द्वारा जारी ई-नीलामी नीति द्वारा शासित थी। याचिका के साथ अनुलग्नक पी-1 के रूप में उसी रुख की प्रति संलग्न की गई है। ऐसी ई-नीलामी नीति के कुछ नियम और शर्तें इस मुद्दे के लिए प्रासंगिक होंगी और इन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: -

आवासीय, संस्थागत और वाणिज्यिक

साइट/बिल्डिंग ई-नीलामी के लिए नियम और शर्तें

क. परिभाषाएँ:-

आधार मूल्य: नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति का आधार मूल्य एफएआर के कारक सहित उस विशेष संपत्ति के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित उस वित्तीय वर्ष के उस क्षेत्र की वर्तमान कलेक्टर दर होगी। ई-नीलामी के लिए बोली आधार मूल्य से शुरू होगी। हालांकि, आधार मूल्य आवश्यक रूप से किसी संपत्ति का आरक्षित मूल्य नहीं है।

2 से 5 xxxxx xxxxx xxxxx

छः. एल.ओ.आई. का अर्थ है आशय पत्र जो सफल बोलीदाता को बोली राशि के 10% का भुगतान करने पर जारी किया जाता है।

सात. xxxxx xxxxx xxxxx

आठ. आरक्षित मूल्य:- आरक्षित मूल्य का निर्धारण इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा किया जाएगा। आरक्षित मूल्य गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग उच्चतम बोली का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा (बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए)।

जन्म। भागीदारी 9 और 10 के लिए पात्रता और शर्तें ।

XXXXXX

XXXXX

XXXXX

11. इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पहले प्रत्येक संपत्ति के आधार मूल्य पर लागत के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर अग्रिम राशि अलग से (जिसके लिए बोलीदाता ई-नीलामी में भाग लेने का इरादा रखता है) जमा करना होगा। इस प्रकार, एक से अधिक संपत्ति के लिए बोली लगाने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को ई-नीलामी में भाग लेने से पहले बोली लगाने से पहले कई संपत्तियों के लिए ईएमडी जमा करना होगा। दूसरे शब्दों में, ईएमडी को प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से जमा करना होगा जिसके लिए एक इच्छुक बोलीदाता भाग लेना चाहता है।

12 से 14 XXXXX XXXXX XXXXXX XXX

15. एचएसवीपी का सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी से किसी भी या सभी संपत्तियों को वापस लेने या ई-नीलामी को रद्द / स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

16. बोली आधार मूल्य से शुरू होगी। आरक्षित मूल्य गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्चतम बोली के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा।

17. ई-नीलामी के समय और उसके बाद किसी भी समय कोई गलत या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी को बोली रद्द करने और बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी की पूरी राशि जब्त करने का अधिकार होगा।

(7) ऊपर दिए गए नियमों और शर्तों को संयुक्त रूप से पढ़ने से स्पष्ट होगा कि नीलामी के लिए रखी जा रही संपत्ति का आधार मूल्य संबंधित वित्तीय वर्ष के उस क्षेत्र की वर्तमान कलेक्टर दर होगी। आधार मूल्य आवश्यक रूप से संपत्ति का आरक्षित मूल्य नहीं होगा। आरक्षित मूल्य का निर्धारण ऐसे प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा किया जाना है। इसके अलावा, आरक्षित मूल्य गोपनीय रहना था और उच्चतम बोली के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक पैरामीटर था। बोली हालांकि आधार मूल्य से शुरू होनी थी। बोली राशि के 10% का भुगतान करने पर सफल बोलीदाता को आशय पत्र जारी किया जाना था। प्रतिवादी ने बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी से किसी भी या सभी संपत्तियों को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखा।

(8) निस्संदेह याचिकाकर्ता को यहां एक पत्र जारी किया गया था आशय दिनांक 28.09.2020 (अनुलग्नक पी-2) के तहत निविदा राशि का कुल 10% अर्थात् 1,95,352.80 रुपये जमा करने पर बूथ के लिए आशय पत्र जारी किया गया है।

(9) पहला मुद्दा जो अब हमारे सामने विचार के लिए उठता है वह यह है कि इस तरह के आशय पत्र जारी होने पर याचिकाकर्ता के पक्ष में कौन से अधिकार प्रवाहित होंगे।

(10) वैध अनुबंधों का निष्पादन पार्टियों के बीच किसी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकारों और दायित्वों के निर्माण के लिए एक शर्त है। एक निश्चित अनुबंध में प्रवेश करने से पहले, पार्टियां अक्सर एक आशय पत्र में प्रवेश करती हैं ताकि प्रस्तावित अनुबंध के प्रमुख नियमों और शर्तों को सहमति और निर्दिष्ट किया जा सके। यह अच्छी तरह से तय है कि **"समझौते में प्रवेश करने" के लिए एक समझौता न** तो लागू करने योग्य है और न ही यह पार्टियों को कोई अधिकार प्रदान करता है। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है कि एक आशय पत्र आम तौर पर भविष्य में दूसरे पक्ष के साथ अनुबंध करने के लिए एक पार्टी के इरादे को इंगित करता है। इस संबंध में ड्रेसर रैंड एसए बनाम **बिंदाल एगो केम लिमिटेड**¹ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है।

(11) याचिकाकर्ता को बूथ के लिए जारी दिनांक 28.09.2020 के आशय पत्र (अनुलग्नक पी-2) के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि यह आवंटन का पत्र नहीं था। आशय पत्र के खंड 2 में इसे निम्नानुसार पढ़ा गया था:-

"साइट/प्लॉट/बिल्डिंग नंबर 41, सेक्टर 3, अर्बन एस्टेट रेवाड़ी के लिए आपकी बोली पर विचार किया गया है और नीचे दिए गए अनुसार (वाणिज्यिक) साइट/ प्लॉट / भवन को निर्धारित समय सीमा के भीतर निम्नलिखित नियमों और शर्तों को पूरा करने पर फ्री होल्ड आधार पर आवंटन के लिए आपको पेश करने का इरादा है, जिसमें विफल रहने पर यह प्रस्ताव बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा और आपके द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि प्राधिकरण को जब्त कर ली जाएगी। साइट/प्लॉट/भवन के आवंटन या क्षति या ब्याज के लिए कोई दावा नहीं। साइट/प्लॉट/बिल्डिंग का विवरण निम्नानुसार है।

(12) आगे यह कहा गया था कि बोली राशि के 10% के रूप में जमा की गई 1,95,352.80/- रुपये की राशि को संबंधित साइट की कीमत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। आशय पत्र के प्रेषण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर बूथ साइट की अच्छी 25% कीमत बनाने के लिए उद्धृत बोली राशि का एक और 15% जमा किया जाना था। इसके बाद शेष 75% राशि आशय पत्र के प्रेषण की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर ब्याज के बिना एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाना था। आशय पत्र में शर्त संख्या 5 स्पष्ट थी कि बोली राशि का 100% भुगतान किए जाने के बाद ही सफल बोलीदाता को आवंटन का नियमित पत्र जारी किया जाना है। शर्त संख्या 6 में आगे के मामलों को स्पष्ट किया गया और यह निर्धारित किया गया कि विचाराधीन संपत्ति तब तक प्रतिवादी की बनी

¹ AIR (2006) SC 871

रहेगी जब तक कि उस संपत्ति की बिक्री के कारण ब्याज और किसी अन्य बकाया राशि के साथ पूरी बोली राशि का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है और सफल बोलीदाता / आवंटित के पक्ष में हस्तांतरण परिवहन का विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है।

(13) वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा बोली राशि का 15% जमा करने से पहले ही आशय पत्र वापस ले लिया गया है। याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन का कोई नियमित पत्र जारी नहीं किया गया है। दिनांक 28.09.2020 का आशय पत्र (अनुलग्नक पी-2) केवल औपचारिक अनुबंध/आवंटन पत्र की प्रस्तावना थी। पार्टियों के बीच कोई संपन्न अनुबंध नहीं था। हमें यह देखने में कोई संकोच नहीं होगा कि दिनांक 28.09.2020 को आशय पत्र जारी करने के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई निहित अधिकार या उस मामले के लिए कोई प्रवर्तनीय अधिकार नहीं मिला है।

(14) हमारे लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि कोई निर्णय बिना किसी कारण के या संबंधित प्राधिकारी के मात्र *इप्सी दीक्षित* के आधार पर लिया जाता है, तो इसे शक्ति के मनमाने प्रयोग के रूप में देखा जाएगा।

(15) तथापि, वर्तमान मामले में अनुलग्नक पी-3 और पी-4 में आक्षेपित आदेशों में आशय पत्र को वापस लेने के कारण/आधार शामिल हैं। खुलासा किया गया आधार यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाई गई बोली इस तरह के उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से बहुत कम थी। ई-नीलामी नीति (अनुलग्नक पी-1) और उसमें निहित नियमों और शर्तों के अनुसार आरक्षित मूल्य गोपनीय रहना था और इसका उपयोग उच्चतम बोली के मूल्यांकन के लिए किया जाना था। हम पाते हैं कि आशय पत्र को वापस लेने के लिए जिस आधार का खुलासा किया गया है, वह वैध आधार है और ई-नीलामी नीति के नियमों और शर्तों के अनुरूप है। याचिकाकर्ता की बोली आरक्षित मूल्य से बहुत कम होने के बावजूद, अनजाने में एक आशय पत्र जारी किया गया था और यह ऐसी त्रुटि के सुधार के लिए है कि आक्षेपित आदेश जारी किया गया है। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान, एक *वास्तविक* गलती को हमेशा ठीक किया जाना चाहिए।

(16) सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किए जाने और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के संबंध में वकील द्वारा दी गई प्रस्तुति, अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति के निपटान के मामले में, यह सवाल कि क्या सार्वजनिक नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के अधिकार को जनता के अधिकार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित मूल्य और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मूल्यवान सार्वजनिक संपत्तियों का निपटान नहीं किया गया था, जनहित की जीत होनी चाहिए। अनुबंध पी-3 और पी-4 में दिए गए आदेश आशय पत्र को वापस लेने के लिए ठोस कारण बताते हैं। प्रतिवादी ने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा निर्णय लिया है कि सार्वजनिक

संपत्ति आरक्षित मूल्य से नीचे नीलामी में नहीं बेची जाए। इस तरह का निर्णय एक पारदर्शी और निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है। आशय पत्र जारी करने के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई निहित अधिकार न होने की स्थिति में, सुनवाई से इनकार करने और पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करने के संबंध में प्रस्तुतीकरण को बिना किसी योग्यता के पाया जाता है।

(17) ऊपर दर्ज कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमें ऐसा कोई आधार नहीं मिला जो हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

(18) रिट याचिका खारिज।

ऋतंबरा ऋषि

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

प्रभात किरण प्रसाद,
(अनुवादक)